हिमाचल प्रदेश राज्य

विरूद्ध

सुरेश कुमार उर्फ छोटू

(आपराधिक अपील संख्या 973/2002)

28 अगस्त 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सतशिवम और आफताब आलम जे.जे.] दंड संहिता 1860:

धारा 363, 368 और 376 अपहरण और बलात्कार – अभिनिर्धारित; उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि आरोप स्थापित नहीं किए गए और घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की आयु के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला है उसके बारें में यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिना किसी आधार के हो। उच्च न्यायालय ने न्यायिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला हैं कि अभियोक्त्री अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई तथा आरोपित यौन संबंध उसकी सहमित से बनाये गये।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारःआपराधिक अपील संख्या ९७७/२००२।

यह अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा आपराधिक अपील संख्या 507/1999 में दिनांक 05-11-2001 को पारित के विरूद्ध की गई हैं।

अपीलार्थी की ओर से नरेश के. शर्मा और मीनाक्षी अरोड़ा।

इस न्यायालय का यह आदेश **डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया।

इस अपील में हिमाचल प्रदेश के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। इस अपील में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध की गई हैं। (जिसे आगे 'अभियुक्त' कहा जायेगा) विद्वान सेशन न्यायाधीश कांगड़ा (धर्मशाला) ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363,366 और 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी माना और उसे 07 साल और 02 साल के कठोर कारावास और व्यतिक्रम शर्त के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अभियोजन का मामला विचारण के दौरान निम्न प्रकार से हैं:-

जगरनाथ (पी.डी-03) व निर्मला देवी (पी.डी-01) की पुत्री अभियोक्त्री (पी.डी-02) दिनांक 23-03-1996 को सादवान गांव में अपने घर पर थी। अभियुक्त और ईश्वरदास उर्फ शेरू (यह विचारण न्यायालय के समक्ष सह-अभियुक्त था, जिसे आगे इसी नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा) उसके घर पर आये। अभियुक्त ने उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। उसके मना करने पर अभियुक्त व सह-अभियुक्त ने उसके भाई को मारने की धमकी दी। फिर वे लोग उसे चाकू से भय दिखाकर अशोक कुमार के घर ले गये। (अशोक क्मार विचारण न्यायालय में सह-अभियुक्त था जिसे आगे इसी नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा)। फिर उसके बाद अभियुक्त से शादी कराने के लिए उसे क्णालपथरी मंदिर ले गये। फिर उसने (अभियोक्त्री) व प्जारी ने शादी कराने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात अभियुक्त व सह-अभियुक्त अभियोक्त्री को न्यायालय परिसर धर्मशाला ले गये तथा जबरदस्ती अभियोक्त्री से उसका अभियुक्त के साथ विवाह का शपथ-पत्र हस्तांतरित करवाया तथा इसी आशय से अभियुक्त का शपथ-पत्र अधिवक्ता आर.एस. राणा (पी.डी-05) द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके पश्चात अभियोक्त्री को शाहपुर स्थित सह-अभियुक्त अशोक क्मार के मकान पर ले गये, वहां पर उसे 5 दिन तक रखा तथा इस अवधि के दौरान अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया।

जब अभियोक्त्री की माता (पी.डी-O1) खेत से घर आई तो अभियोक्त्री को घर से गायब पाया और उसे पड़ौस में व अपने माता-पिता के घर पर ढ़ूंढा और आखिर में उसने दिनांक 26-03-1996 को पुलिस थाना नुरपुर में शरीफ मोहम्मद सहायक उपनिरीक्षक(पी.डी-10) को सूचित किया, जिसने सूचना प्रदर्श पी.डब्ल्यू-01 ए दर्ज किया। अभियोक्त्री के पिता (पी.डी-03) घटना के समय कुल्लू में काम करते थे, उसे इस घटना की जानकारी दी गई तो वह घर पर आया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने (पी.डी-02) के साथ अभियोक्त्री को सह-अभियुक्त अशोक के घर से जरिये फर्द प्रदर्श पी.डब्ल्यू-03/ए के बरामद किया तथा उसे पी.डब्ल्यू-02 को जरिये फर्द प्रदर्श पी.डी./बी के सुपूर्व किया। अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. डी.आर. रॉयल (पी.डी-12) द्वारा किया गया तथा प्रमाण -पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू-12/बी जारी किया गया तथा यह राय दी कि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान पी.डी-12 ने अभियोक्त्री का घटना के समय पहना हुआ अंडरवियर तथा योनि स्वाब लिया तथा स्लाईड तैयार कर सील कर रासायनिक परीक्षण हेत् पुलिस को दिये। अभियुक्त की गिरफतारी के बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. प्रवीण भारद्वाज द्वारा कर रिपोर्ट प्रदर्श पी.डब्ल्यू-13/ए तैयार की तथा यह राय दी कि अभियुक्त बलात्कार करने में सक्षम हैं। चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभियुक्त का अंडरवीयर पी.डी-13 ने अपने कब्जे में लिया तथा उसे रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस को दिया। उपरोक्त लेखों प्रदर्श पी.अक्स. के रासायनिक विश्लेषक के संबंध में रिपोर्ट के अन्सार विश्लेषण किये गये लेखों में कुछ भी आपतिजनक नहीं पाया गया, सिवाय अभियोक्त्री के अंडरवियर के, जो जांच के दौरान मानव रक्त से सना हुआ पाया गया। अंवेक्षण के दौरान पुलिस नेअभियोक्त्री की आयु प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू-14/ए और उसका रजिस्टर प्रदर्श पी.डब्ल्यू-14/बी का सार भी कब्जे में लिया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात थानाधिकारी प्लिस थाना न्रप्र ने अभियुक्त व सह-अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 368 व 376 भा.द.सं. में आरोप पत्र पेश किया।

अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा कहा कि उसे झूठा फंसाया गया हैं। सह-अभियुक्त अशोक का विचारण धारा 368 व 109 सपठित धारा 376 भा.द.सं. के आरोप में तथा सह-अभियुक्त ईश्वर दास उर्फ शेरू का धारा 363, 376 सपठित धारा 34 तथा धारा 109 सपठित धारा 376 में किया गया।

06. आरोपों को साबित करने हेतु 15 साक्षीगण को परिक्षित कराया गया। अभियुक्त तथा सह-अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्त में संहिता) में परिक्षण किया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उपरोक्तानुसार दंडादेश दिया।

उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री के कथनों में असंगतता पाई। वह अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई तथा आरोपित यौन संबंध उसकी सहमित से बनाये गये। अभियोक्त्री का यह तर्क हैं कि उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होने के कारण उसकी सहमित का कोई महत्व नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने साक्षी पी.डी. 1, 2, 3 तथा 14 के कथनों तथा जन्म प्रमाण-पत्र का हवाला दिया। उच्च न्यायालय ने यह अंकित किया कि उक्त दस्तावेज अभियोक्त्री से संबंधित नहीं हैं तथा इनमें अंकित जन्म-तिथि अभियोक्त्री की नहीं हैं। इसमें माता-पिता की साक्ष्य का हवाला दिया गया। यह भी निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री के जन्म के दस्तावेज उसकी मां की साक्ष्य के अनुसार उसमें संबंधित नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने आरोपों को साबित नहीं माना तथा घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक मानी।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियोक्त्री के कथनों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दस्तावेजी सबूतों से पता चलता हैं कि हालांकि जन्म लेने वाले बच्चे के नाम के संबंध में दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां हैं और गांव के इलाके में उसकी जाति का कोई महत्व नहीं माना जाना चाहिए था।

विद्वान न्यायामित्र ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

हम यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने जो अभिमत दिया हैं कि अभियोक्त्री स्वयं अपनी इच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी तथा यौन संबंधों के कृत्य में सहमत पक्षकार थी, जो वास्तविक रूप से सही हैं। राज्य के अधिवक्ता ने यह सही कहा हैं कि यदि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम हैं तो उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं हैं। लेकिन उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की आयु के संबंध में जो अभिमत व्यक्त दिया हैं उसे यह नहीं माना जा सकता कि यह बिना किसी आधार के दिया हो। उच्च न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष दिया हैं कि अभियोजन ने अभियोक्त्री की जो आयु बताई है वो स्थापित नहीं हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमें इस अपील में कोई विशेषता नहीं हैं। अपील अस्वीकार की जाती हैं।

न्यायामित्र द्वारा दी गई सहायता के लिए हमारी सराहना हैं।

आर.पी. अपील खारिज।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋषि कुमार (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।